



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224351
CG-DL-E-12012021-224351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942

No. 96]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

का.आ. 116(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को सेंट्रिफ्युगली कास्ट (स्पन) आयरन पाइप्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह 01 अगस्त, 2021 से प्रभावी होगा।

2. मानक का अनुपालन और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण - यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
सेंट्रिफ्युगली कास्ट (स्पन) आयरन पाइप्स	आईएस 1536: 2001	पानी, गैस और सीवेज के लिए सेंट्रिफ्युगली कास्ट (स्पन) आयरन प्रेशर पाइप्स- विशेषताएं
	आईएस 3989: 2009	सेंट्रिफ्युगली कास्ट (स्पन) आयरन स्पिगॉट और सॉकेट सॉयल, वेस्ट, वेंटिलेटिंग और रेनवॉटर पाइप्स, फिटिंग्स और एक्सेसरीज – विशेषताएं
	आईएस 15905: 2011	हबलेस सेंट्रिफ्युगली कास्ट (स्पन) आयरन पाइप्स, फिटिंग्स और एक्सेसरीज – स्पिगॉट श्रृंखला – विशेषताएं

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, उनके संबंध में जारी संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/3/2020-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 12th January, 2021

S.O. 116(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Centrifugally Cast (Spun) Iron Pipes (Quality Control) Order, 2021.

(2) It shall come into force with effect from the 01st day of August, 2021.

2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.— The goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the Table.

TABLE

Goods or articles.	Indian Standard.	Title of Indian Standard.
(1)	(2)	(3)
Centrifugally cast (Spun) iron pipes.	IS 1536: 2001	Centrifugally cast (Spun) iron pressure pipes for water, gas and sewage – Specification.
	IS 3989: 2009	Centrifugally cast (Spun) iron spigot and socket soil, waste, ventilating and rainwater pipes, fittings and accessories – Specification.

	IS 15905: 2011	Hubless centrifugally cast (Spun) iron pipes, fittings and accessories - Spigot series – Specification.
--	----------------	---

Note : For the purposes of this table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/3/2020-LEI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.